मानवाधिकार एवं पुलिसः बिहार के विशेष सदंर्भ में

बिपीन कुमार

मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति एक मानव होने के नाते अधिकारी है। ये अधिकार मानव होने के नाते अन्तर्भूत, अन्तर्निहित और अदेय है। सभी मनुष्य जन्म से समान हैं और इसलिए जन्म, नस्ल, लिंग, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्रीयता, सम्पत्ति या स्थिति के भेद–भाव बिना सभी इन अधिकारों के लिए समान रूप से अधिकृत हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक है और सभी मनुष्यों को मिलना चाहिए भले ही उनके राज्य के कानून कुछ भी हो।

मानवाधिकार संरक्षण के दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया और 10 दिसम्बर 1948 को महासभा द्वारा सार्वजनिक घोषणा पत्र पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र–घोषणा पत्र पहला ऐसा दस्तावेज है जिसमें पुरुषों एवं मलिहलाओं के बीच समान अधिकारों की बात कही गई।